(२)

पत्रावली पेश हुई नियत
... अधिवक्ता पत्रावली
... ... पत्रावली
... ... 0.22.2.4 हेतु
दिनांक 22.1.19 को पेश
प्रो

आज्ञा पत्र ... राठासान आज्ञा
... ...
... दिनांक
23.1.19 ...

आज्ञा

पत्रावली पेश हुई। ... ...
... पत्रावली का अवलोकन-अध्ययन किया
... विद्वान अधिवक्ता ...
... मनन किया।
पत्रावली की आदेशिका दिनांक 16-6-15
के आदेश पत्र 022R4 का जवाब पर्याप्त
... दिये जाने पर भी पेश न करने
cont.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी... जो इस हुक्म... में जारी...
	पर बंद किया जाकर बहस में रखी गयी। प्रार्थना-पत्र पर बहस विद्वान अधि० उभय पक्षकारान सुनी गयी। बहस में विद्वान अधिवक्ता वादी/प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के कायम मुकाम मुकर्रर करने का निवेदन किया। प्रतिकार के रूप में विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि वादी प्रमुख की मृत्यु 14-12-2010 को हुई थी जो प्रार्थना-पत्र में भी अंकित है जबकि प्रार्थना पत्र दिनांक 07.6.2011 को मान० न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो भी आदेश 22 नियम 4 का जो कि प्रतिवादी की मृत्यु होने पर संस्थित किया जाता है जबकि प्रार्थना पत्र O22 R(3)(ix) में होना चाहिए। कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र मृत्यु के 90 दिनों के भीतर पेश किया जाना चाहिए जो नहीं किया जाकर प्रकरण को लम्बित किया गया है। प्रार्थना-पत्र समयातीत होने व ठोस आधार न होने व कथनों पर आधारित होने से निरस्तनीय है अतः दावे को खारिज फरमाया जावे। प्रार्थनापत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं होने व समयातीत होने के कारण खारिज योग्य है अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 30.1.19	